न्यायालय कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

अधिकार वाद सं0– 10 / 2021

रामचन्द्र ठाकुर वगैरह .....वादीगण

बनाम्

परमेश्वर शर्मा उर्फ चुल्हो शर्मा वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

08.12.2025 वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से हाजरी दी गई। वादी की ओर से प्रदर्श आवेदन दिं0–27.05.2024 को संचालित किया गया एवं कथन किया गया कि वादी की ओर से मौजा–रहेपूर, थाना नं0–181, अंचल–मो0 नगर के रिविजनल सर्वे खाता–127 नाम से रामचन्द्र ठाकुर का रिविजनल सर्वे मूल खतियान दाखिल किया गया है। जो लोक दस्तावेज है तथा रामचन्द्र ठाकुर के नाम का कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी पर्ची की प्रति दाखिल की गई है। जिसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निम्नांकित दस्तावेज को लोक दस्तावेज के रूप में निदर्श करने का आदेश दिया जाय।

उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल किया गया एवं कथन किया गया कि वादी द्वारा दायर की गई आवेदन विधिवत स्वीकार योग्य नहीं है। वादी को आवेदन दाखिल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता परिसिमा कानून द्वारा वर्जित है। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। कागजात को एकतरफा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो सार्वजनिक दस्तावेज है। वादी को साक्ष्य अधिनियम में वर्णित उचित कदमा उठानी चाहिए। वादी द्वारा दाखिल आवेदन में कोई मेरिट नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से दि0–27.05.2024 को आवेदन दाखिल किया गया है। जिस आवेदन के आलोक में कागजात को प्रदर्श अंकित कराना चाहते हैं। वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज के श्रेणी में आता है। वाद के उचित निष्पादन एवं न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी का प्रदर्श अंकित करने संबंधित आवेदन दिं0– 27.05.2024 को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है तथा रामचन्द्र ठाकुर, पिता–बुद्धन ठाकुर के नाम का मौजे–रहेपुर, थाना सं0–181 के जमाबंदी पंजी की कम्प्यूटरीकृत प्रति को प्रदर्श–2 / ए आपत्ति के साथ अंकित किया जाता है।

वाद दिनांक–**19.01.2026** वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

ले0

मुंसिफ